जयपुर विकास प्राधिकरणए जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक–प.2( )जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./बैठक/2026/डी– दिनांकः–

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 230वीं बैठक दिनांक 17.08.2026 को दोपहर 12:30 बजे श्री सिद्धार्थ महाजन, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में "चिंतन सभा कक्ष" में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार–विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गयेः–

क्र.सं.	जोन	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.	–	230:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 228वीं बैठक दिनांक 21.07.2026 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लम्बित अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की पूर्व की बैठकों की लम्बित अनुपालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा सभी जोनों को आगामी बैठक से पूर्व जारी गूगल स्प्रेडशीट पर अनुपालना कार्यवाही अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
2.	10	230:2	जोन–10 द्वारा :– • बजट घोषणा वर्ष 2023–2024 के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमवारामगढ़ क्रमोन्नत राजकीय उप जिला चिकित्सालय, जमवारामगढ़ को नवीन भवन निर्माण हेतु • खसरा संख्या 370, 379, 487 में ज.वि.प्रा. की पूर्व अनुमोदित जमवारामगढ फार्म हाउस योजना में स्थित रिसोर्ट प्रयोजनार्थ भूखण्ड में से क्षेत्रफल 14977.00 व.मी. के आवंटन बाबत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	जोन द्वारा अवगत कराया गया कि बजट घोषणा वर्ष 2023–2024 के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमवारामगढ़ क्रमोन्नत राजकीय उप जिला चिकित्सालय, जमवारामगढ़ को नवीन भवन निर्माण हेतु खसरा संख्या 370, 379, 487 में ज.वि.प्रा. की पूर्व अनुमोदित जमवारामगढ़ फार्म हाउस योजना में स्थित रिसोर्ट प्रयोजनार्थ भूखण्ड में से क्षेत्रफल 14977.00 व.मी. के आवंटन बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया। प्रकरण 229वीं एलपीसी की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें निर्णयानुसार पूर्व अनुमोदित जमवारामगढ फार्म हाउस योजना का डिमार्केशन नहीं होने तथा खसरों की ओवरलेपिंग होने के कारण योजना का मानचित्र संशोधन पीडब्ल्यूसी में निर्णित किया जा चुका है। जिसके अनुसार भूमि आंवटित की जानी है। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया किः– • राजकीय उप जिला चिकित्सालय, जमवारामगढ़ को नवीन भवन निर्माण हेतु भू–आवंटन नीति 2025 में राजकीय विभागों को भू–आवंटन हेतु निर्धारित क्षेत्रफल के परिशिष्ट अ में उप जिला चिकित्सालय का अंकन नही होने के कारण महाविद्यालय श्रेणी के अनुरूप मानते हुए 10000 व.मी. भूमि (सलंग्न नक्शानुसार) निःशुल्क आवंटन की अनुशंषा के साथ राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। • पूर्व में जारी आवंटन पत्र एवं लीजडीड आवेदक संस्था से मूल ही प्राप्त किये जाने पश्चात्

रामकिशोर व्यास भवनए इन्दिरा सर्किलए जवाहर लाल नेहरु मार्गए जयपुर.302004
दूरभाष.(91.0141.2570122) ईपीबीएक्स .910141.2569696 एक्सटेंशन(7019) फैक्स. 91.141.2574555
ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gove.in }

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.08.19 14:23:56 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24115155
M e-Sign

				आवंटन संबंधी कार्यवाही की जावे। • वर्तमान आंवटन में इस शर्त का उल्लेख किया जावे कि चिकित्सा विभाग द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के पूर्व में निर्मित भवन को उपजिला चिकित्सालय का नवीन भवन निर्मित हो जाने पर प्राधिकरण को सुपुर्द किया जावे। ताकि किसी अन्य विभाग को आवश्यकता अनुसार आवंटन किया जा सके।
3.	14	**230.3**	जोन–14 द्वारा :– • रिंग रोड परियोजना के ग्राम श्रीरामपुरा व रातल्या के ओ.के. ब्लॉक में मौके पर 132 केवी एच.टी.लाईन व सेफ्टी कोरिडोर से प्रभावित भूखण्डों के स्थान पर विनिमय द्वारा उक्त ब्लॉक में समान क्षेत्रफल के रिक्त उपलब्ध भूखण्डों का आवंटन करने बाबत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	जोन द्वारा अवगत कराया गया कि रिंग रोड परियोजना में आवेदक श्री गुल्ला उर्फ गुलाबचन्द पुत्र घासी निवासी रघुनाथपुरा उर्फ रातल्या के आवेदन के आधार पर ग्राम श्रीरामपुरा व रातल्या के ओ.के. ब्लॉक में मौके पर 132 केवी एच.टी. लाईन व सेफ्टी कोरिडोर से प्रभावित 5 भूखण्डों (भूखण्ड संख्या 14/ओ.के./30 क्षेत्रफल 1250 व. मी., भूखण्ड संख्या 14/ओ.के./37, 39, 76, 78 प्रत्येक क्षेत्रफल 627 व.मी.) के स्थान पर विनिमय द्वारा उक्त ब्लॉक में समान क्षेत्रफल के रिक्त उपलब्ध भूखण्डों का आवंटन किया जाना है। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:– • समिति द्वारा एचटीलाईन व सेफ्टी कॉरिडोर से प्रभावित 5 भूखण्डों (भूखण्ड संख्या 14/ओ.के. /37, 39, 76, 77, 78 प्रत्येक क्षेत्रफल 627 व.मी.) का विनिमय समतुल्य/सममुल्यता के आधार पर उपलब्ध भूखण्डों (भूखण्ड संख्या 14/ओ.के./35, 54, 60, 62, 63, 65, 66 प्रत्येक 627 व.मी.) में से लॉटरी के माध्यम से विनिमय आवंटन किया जावे। • भूखण्ड संख्या 14/ओ.के./30 क्षेत्रफल 1250 व.मी. का आंशिक भाग विद्युत लाईन के सेफ्टी कोरीडोर से प्रभावित होने के कारण प्रभावित क्षेत्रफल को कम किये जाते हुए उक्त भूखण्ड की संशोधित लीजडीड जारी की जावे। • पीडब्ल्यूसी के निर्णयानुसार एचटीलाईन व सेफ्टी कॉरिडोर से बचे हुये क्षेत्रफल में सृजित छोटे भूखण्डों का लॉटरी/नीलामी के माध्यम से निस्तारण किया जावे। • पूर्व में जारी आवंटन पत्र एवं लीजडीड जविप्रा में मूल ही समर्पित किये जाने के पश्चात् आवंटन संबंधी कार्यवाही की जावे।
4.	22	**230.4**	जोन–22 द्वारा :– • राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर राजस्थान	जोन द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर राजस्थान हेतु 300

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.08.19 14:23:56 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24115155

M e-Sign

			हेतु 300 बैडेड अस्पताल, रिसर्च एवं आयुर्वेद नर्सिंग कालेज, फार्मेसी कालेज आदि हेतु • जविप्रा की अनुमोदित योजना नॉलेज सिटी साउथ चित्तौडा तहसील माधोराजपुरा में • हॉस्पिटल प्रयोजनार्थ आरक्षित भूखण्ड संख्या एम.सी.–2 क्षेत्रफल 8.2943 हैक्टयर भूमि आवंटन बाबत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	बैडेड अस्पताल, रिसर्च एवं आयुर्वेद नर्सिंग कालेज, फार्मेसी कालेज आदि हेतु जविप्रा की अनुमोदित योजना नॉलेज सिटी साउथ चित्तौडा तहसील माधोराजपुरा में हॉस्पिटल प्रयोजनार्थ आरक्षित भूखण्ड संख्या एम.सी.–2 क्षेत्रफल 8.2943 हैक्टयर आवंटन किए जाने के संबंध में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:– • जोन द्वारा यथाप्रस्तावित जविप्रा की अनुमोदित योजना नॉलेज सिटी साउथ चित्तौडा तहसील माधोराजपुरा में हॉस्पिटल प्रयोजनार्थ आरक्षित भूखण्ड संख्या एम.सी.–2 क्षेत्रफल 8.2943 हैक्टयर भूमि के निःशुल्क आंवटन किये जाने की अनुशंषा के साथ राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। • प्रस्तावित आवंटन भू–आवंटन नीति 2025 के परिशिष्ठ ब में निर्धारित क्षेत्रफल अनुसार 20 एकड भूमि से अधिक (लगभग 1900 व.मी. अधिक) होने के कारण राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
5.	पी. आर. एन.	**230.5**	जोन–पीआरएन द्वारा :– • मैसर्स बालाजी हॉस्पिटल एण्ड ऑर्थोपेडिक सेंटर को • प्राधिकरण की गोकुल नगर योजना में स्थित • फैसेलिटी भूखण्ड संख्या एफ–10 • क्षेत्रफल 6368.98 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	जोन द्वारा अवगत कराया गया कि मैसर्स बालाजी हॉस्पिटल एण्ड ऑर्थोपेडिक सेंटर को प्राधिकरण की गोकुल नगर योजना में स्थित फैसेलिटी भूखण्ड संख्या एफ–10, क्षेत्रफल 6368.98 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण 229वीं एलपीसी की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया, भूखण्ड के अन्तिम भू–उपयोग का निर्धारण पीडब्ल्यूसी में निर्णित किया जा चुका है। जिसके अनुसार भूमि आवेदित प्रयोजनार्थ आंवटन की जा सकती है। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि :– • मैसर्स बालाजी हॉस्पिटल एण्ड ऑर्थोपेडिक सेंटर को प्राधिकरण की गोकुल नगर योजना में स्थित फैसेलिटी भूखण्ड संख्या एफ–10, क्षेत्रफल 6368.98 वर्गमीटर भूमि भू–आवंटन नीति 2025 के प्रावधानानुसार संस्थागत आरक्षित दर + स्थानीय निकाय को दिये जाने वाली 15 प्रतिशत राशि पर आवंटन की अनुशंषा के साथ प्रकरण भू–आवंटन नीति में निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक होने के कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.08.19 14:23:56 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24115155
M e-Sign

				राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।
6.	10	**230.6**	जोन–10 द्वारा :– • माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति हेतु बाल अधिकारिता विभाग को बालिका आवासीय विद्यालय हेतु ग्राम जयसिंहपुरा खोर के खसरा नम्बर 1853 रकबा 6.3991 हैक्ट. व खसरा नं. 1854 रकबा 0.7967 हैक्टयर में से 24227.27 व.मी. भूमि आवंटन के संबंध में एलपीसी की 228वीं बैठक के निर्णय में संशोधन बाबत्।	प्रकरण में 228वीं एलपीसी की बैठक में निर्णय लिया गया कि :– • ग्राम जयसिंहपुरा खोर के ख.नं. 1853 में से 24227.27 व.मी. भूमि बाल अधिकारिता विभाग हेतु निःशुल्क आवंटन का निर्णय लिया गया। • पूर्व में आवंटित ग्राम जयसिंहपुरा खोर के ख.नं. 215 में 20000 व.मी. भूमि के आवंटन को निरस्त किया जाकर ग्राम जयसिंहपुरा खोर के ख.नं. 1853 में से 24227.27 व.मी. प्रस्तावित भूमि (सलंग्न नक्शे अनुसार) का आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया। • राज्य सरकार के जारी आदेश दिनांक 13.01.2025 की पालना विभाग अपने स्तर पर सुनिश्चित करें। उक्त निर्णय में निम्न संशोधन किया जाता हैः– • बिन्दु संख्या 1 में खसरा नम्बर 1853 रकबा 6.3991 हैक्ट. व खसरा नं. 1854 रकबा 0.7967 हैक्टयर में से 24227.27 व.मी. (सलंग्न नक्शे अनुसार) पढा जावे। • बिन्दु संख्या 2 में पूर्व आंवटित ग्राम जयसिंहपुरा खोर लिखा गया है, जिसे ग्राम जामडोली पढा जावे। • शेष निर्णय यथावत रखा जाता है।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. निदेशक (वित्त/अभियांत्रिकी–I, II, III, IV/नगर–आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
7. संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेंट/संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
8. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन–ए, बी, सी, 7 से 25, पीआरएन, जविप्रा, जयपुर।
11. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा को कार्यवाही विवरण स्केन कर जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड करने के लिये।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref No.: 24115155
M e-Sign

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.08.19 14:23:56 IST
Reason: Approved

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

रामकिशोर व्यास भवनए इन्दिरा सर्किलए जवाहर लाल नेहरु मार्गए जयपुर.302004
दूरभाषः91.0141.2570122द्व रू ईपीबीएक्स .910141.2569696 एक्सटेंशनरू ः7019द्वरू फैक्स.. 91.141.2574555
ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gove.in }

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.08.19 14:23:56 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24115155

M e-Sign